



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 35-2021/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MARCH 5, 2021 (PHALGUNA 14, 1942 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 5th March, 2021

No. 07-HLA of 2021/13/4703.— The Haryana Yog Aayog Bill, 2021, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 07-HLA of 2021

THE HARYANA YOG AAYOG BILL, 2021

A

Bill

to establish Aayog in the State of Haryana for the promotion, management, regulation, training of Yoga and Naturopathy, to promote naturopathy system of medicine, to regulate the practice thereof and to deal with other matters such as training, promotion and Yogasana as a Sport etc. and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Yog Aayog Act, 2021.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In this Act, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “Aayog” means the Haryana Yog Aayog established under section 3;
 - (b) “AYUSH” means the indigenous system of medicine related to Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa-rigpa and Homoeopathy;
 - (c) “Chairman” means the Chairman of the Aayog;
 - (d) “committee” means the committee constituted under section 16 of the Act;
 - (e) “institution” means any College/ Institute/ University/ Board/ Faculty established by law conducting Yoga or Naturopathy courses recognized by State Government or the Central Government;

Short title and commencement.

Definitions.

- (f) “member” means the official or non-official member of the Aayog including Chairman and Vice-Chairman;
- (g) “naturopathy” means a system of man-building in harmony with constructive principles of nature on physical, mental, moral and spiritual planes of living, having health promotive, disease preventive, curative and restorative potential;
- (h) “naturopathy system of therapy” means a drugless, non-invasive system of therapy involving the use of natural elements in its treatment based on the theory of vitality, toxemia, self-healing capacity of the body and the principles of healthy living;
- (i) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;
- (j) “register” means the register of practitioners maintained under clause (a) of sub-section (2) of section 18;
- (k) “registered Yoga or Naturopathy practitioners” means a practitioner of Yoga or Naturopathy registered under the provisions of this Act and the rules made thereunder;
- (l) “Registrar” means the Registrar of the Aayog;
- (m) “State Government” means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
- (n) “Yoga” means a discipline to improve or develop one’s inherent power in a balanced manner which offers the means to attain complete self-realization and it is a technique to suppress the modification of mind.

Establishment
of Aayog.

3. (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish a body to be known as the Haryana Yog Aayog to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Aayog shall have perpetual succession and a common seal and may by said name sue and be sued.

Constitution of
Aayog.

4. The State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute the Aayog consisting of the following members, namely:-

(1) Official members:-

- (a) Director, Sports and Youth Affairs Department, Haryana or his representative not below the rank of Deputy Director/Assistant Director;
- (b) Director AYUSH, Haryana or his representative not below the rank of Deputy Director/Assistant Director;
- (c) Dean/Registrar, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra or his representative not below the rank of Professor/Head of the Department, Yoga;
- (d) Director, Secondary Education Department, Haryana or his representative not below the rank of Deputy Director/Assistant Director;
- (e) Medical Officer, AYUSH Department;

(2) Non-official members:-

There shall be eleven non-official members including Chairman and Vice-Chairman to be nominated by the State Government amongst the following:-

- (a) three members having Bachelor degree in AYUSH with atleast five years experience of Yoga education/training/practice ;
- (b) two members having Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences degree with atleast five years experience in Naturopathy;
- (c) one member having Bachelor degree in Yoga/Naturopathy with research background;
- (d) three members having Bachelor degree in any stream with atleast five years experience certificate in Yoga education/training/practice;
- (e) two members from amongst the registered Yoga or Naturopathy practitioners.

Chairman.

5. The Chairman of the Aayog shall be nominated by the State Government from amongst the non-official members and shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed.

- 6.** The Vice-Chairman of the Aayog shall be nominated by the State Government from amongst the non-official members and shall perform the duties of Chairman in case of vacancy or absence of Chairman. Vice-Chairman.
- 7.** (1) The State Government shall depute the Medical Officer from AYUSH department, Haryana as Registrar of the Aayog, who shall be the Member Secretary of the Aayog and shall perform such duties, as may be prescribed. Registrar.
- (2) The Registrar shall authenticate all decisions and resolutions passed in the meeting and shall follow such procedure of proceeding of meeting, as may be prescribed.
- 8.** The terms and conditions of service of non-official members and other employees shall be as follows:- Terms and conditions of service of non-official members and other employees.
- (i) non-official members shall be nominated for a term of five years which may be extendable for further term with the approval of State Government;
- (ii) the term of non-official member shall start from the date of first meeting of the Aayog;
- (iii) a non-official member may, at any time by writing under his hands addressed to the Chairman resign from his office and a vacancy caused thereof shall be filled by fresh nomination;
- (iv) the non official member shall receive such honorarium and such other allowances for attending meeting of Aayog, as may be prescribed;
- (v) the salaries, allowances and honorarium etc. payable to non-official members, officials and other employees of the Aayog shall be paid out of the grant received from the State Government;
- (vi) the salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the non-official members, officers and other employees of the Aayog, shall be such, as may be prescribed.
- 9.** (1) A non-official member becomes disqualified to continue in office if that member- Disqualification of non-official members.
- (a) becomes an un-discharged insolvent;
- (b) gets convicted and sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude;
- (c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent medical board;
- (d) becomes incapable in performing his duties due to any medical reason or otherwise;
- (e) is, without obtaining leave of absence from the Aayog, absent himself from three consecutive meetings of the Aayog; or
- (f) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:
- Provided that no member shall be removed under this clause until that member has been given a reasonable opportunity of being heard.
- 10.** The State Government may remove any or all of the non-official members of Aayog at any time, if there are sufficient reasons to believe that the member(s) is inimical to the spirit of the Act. Removal of non-official members.
- 11.** In the event of death, resignation, disqualification or removal of non-official member, a vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled as early as possible by fresh nomination of a person thereto as a member, who shall hold office for the unexpired term of his predecessor. Vacancy.
- 12.** No act or proceeding of the Aayog shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Aayog. Vacancies not to invalidate proceedings.
- 13.** The State Government may on the requisition of the Aayog provide such officers and other officials, as it may deem fit, for the smooth functioning of the Aayog. Officers and other officials.
- 14.** The Aayog shall hold meeting at least once in every three months and as many meetings as required and the quorum of the meeting shall be one third of the total number of members. Meetings of Aayog.

- Suspension, cancellation and modification of resolutions.
- Committee.
- Functions of Aayog.
- Functions and powers of Registrar.
- Appeal to Aayog from the decision of Registrar and other powers of Aayog.
- Budget.
- Accounts and audit.
- Fund of Aayog.
- 15.** The State Government may, after giving reasonable notice to the Aayog and after hearing its objections, if any, suspend, cancel or modify any resolution passed by the Aayog.
- 16.** (1) The Aayog may constitute as many committees, as it may deem fit, for smooth functioning of Aayog consisting of minimum of three members from officials and non-officials members in the ratio of 1:2 which shall be headed by the official member.
(2) The Committee so constituted shall submit its report/proposal/suggestion/advice in the prescribed time framed and submit the same to the Aayog.
- 17.** The Aayog shall perform the following functions, namely:-
(a) to act for the promotion, training and regulation of the Yoga or Naturopathy in consultation with the State Government;
(b) to organize Yogasana (Yoga-Postures) competitions at the State/District/ Corporation/Municipal/Tehsil/Panchayat level for primary, middle and senior secondary schools;
(c) to educate, campaign and to make people aware about the benefits of Yoga or Naturopathy and to take steps for inclusion in curriculum of school syllabus;
(d) to review periodically the yoga courses, the syllabi, educational standards and give recommendations to the State Government for the same;
(e) to perform such others functions, as may be prescribed.
- 18.** (1) The Registrar shall register a Yoga or Naturopathy practitioner who is qualified from any institution in such form, manner along with such fee, as may be prescribed.
(2) The Registrar shall,-
(a) maintain the register of Yoga or Naturopathy practitioners in the State;
(b) regulate the professional conduct of registered Yoga or Naturopathy practitioners by such code of ethics, as may be prescribed;
(c) after giving opportunity of being heard suspend or remove the name from the Register, or take such other disciplinary action against Yoga or Naturopathy practitioner, as may be prescribed.
- 19.** (1) Any person aggrieved by the decision of the Registrar regarding registration of any person or any entry in the register may appeal to the Aayog.
(2) Such appeal shall be filed with, and shall be heard and decided by, the Aayog in the manner prescribed.
- 20.** (1) The Aayog shall on such date, as may be prescribed, prepare and submit to the State Government, in the prescribed form, the demand of grant for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure.
(2) The State Government may sanction the grant submitted to it with such modification, if any, as it deems proper.
(3) When the grant is sanctioned by the State Government, the Aayog shall be competent to appropriate the amounts out of the grant for the purpose for which the provision is made in the budget.
- 21.** (1) The Aayog shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the income and expenditure and balance sheet, utilization certificate, in such form and manner, as may be prescribed.
(2) The accounts of the Aayog shall be examined and audited by the Director, Local Fund Accounts in accordance with the relevant provisions.
(3) The audited statement of accounts and working report of the Aayog shall be submitted to the AYUSH Department before the 31st July of every year.
- 22.** (1) The fund of the Aayog shall be constituted of the funds collected as registration, renewal fee etc. and such fund shall be maintained by way of bank account in the Nationalized Bank.
(2) The Chairman and Registrar of the Aayog shall jointly operate the said bank account for carrying out the purposes of this Act.

- 23.** (1) The Government may, by notification in the Official Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act. Power to make rules.
- (2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature.
- 24.** Every officer and official appointed under this Act, while exercising any power or performing any duty under this Act, shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the India Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860). Officers and Officials to be public servants.
- 25.** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty: Removal of difficulties.
- Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Act.
- (2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.
- 26.** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer or employee of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder. Protection of action taken in good faith.
- 27.** Anything done by the Haryana Yog Council or renamed as Haryana Yog Aayog *vide* notification No. 9/24/2019-6HB-II, dated the 15th January, 2021, before the commencement of this Act shall be deemed to have been done under this Act as per the provisions of section 6 of the General Clauses Act. Savings.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Since the inception of the State of Haryana, there has been significant expansion in the field of Yoga. At present, there is no Yog Aayog in the State. Therefore, it is essential to establish and incorporate an Aayog in the State of Haryana to be known as Haryana Yog Aayog for the purpose of promotion, management, regulation, training of Yoga, Naturopathy, registration of Yoga and Naturopathy Professionals in Haryana State.

So, keeping in view the importance, affectivity and utility of Yoga and Ancient Therapies, there is an inevitable requirements of Yog Aayog for the promotion , management, regulation, training of Yoga and to develop a system of Naturopathy system of medicine and to regulate the practice thereof and to deal with certain other matters such as training, promotion and Yogasana as a Sport etc.

The establishment of Haryana Yog Aayog will be beneficial for all the people of Haryana.

ANIL VIJ,
Health and AYUSH Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh:
The 5th March, 2021.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 23 of the proposed Bill provides the Government may, by notification in the official gazette make rules for carrying out the purposes of this act and every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislation. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under Rule 126 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

FINANCIAL MEMORANDUM

There will be financial implication of approximately Rs 1.00 crore per year on the State Exchequer on account of payment of consolidated monthly honorarium/ house rent etc. to the Chairman, seating and TA/DA charges of meeting of members, salary of other staff and other miscellaneous expenses of office.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 7 एच.एल.ए.

हरियाणा योग आयोग विधेयक, 2021
हरियाणा राज्य में योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा
को प्रोन्नत, प्रबन्धन, विनियमन, प्रशिक्षण के लिए,
आयुर्विज्ञान की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की
प्रोन्नति हेतु, उसके व्यवसाय को विनियमित
करने हेतु तथा अन्य मामलों जैसे खेल
इत्यादि के रूप में प्रशिक्षण, प्रोन्नति
तथा योगासन, के निपटान हेतु
तथा उससे सम्बन्धित तथा
उससे आनुषांगिक मामलों
के लिए आयोग की
स्थापना करने हेतु
विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा योग आयोग अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) "आयोग" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन स्थापित हरियाणा योग आयोग ;
 - (ख) "आयुष" से अभिप्राय है, आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक-चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, सोआ-रिग्पा तथा होम्योपैथी से सम्बन्धित आयुर्विज्ञान की स्वदेशी पद्धति ;
 - (ग) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, आयोग का अध्यक्ष ;
 - (घ) "समिति" से अभिप्राय है, अधिनियम की धारा 16 के अधीन गठित समिति ;
 - (ङ.) "संस्था" से अभिप्राय है, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त योग या प्राकृतिक-चिकित्सा पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाला विधि द्वारा स्थापित कोई महाविद्यालय/संस्था/विश्वविद्यालय/बोर्ड/संकाय;
 - (च) "सदस्य" से अभिप्राय है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित आयोग के सरकारी या गैर-सरकारी सदस्य ;
 - (छ) "प्राकृतिक-चिकित्सा" से अभिप्राय है, स्वास्थ्य प्रवर्तक, रोग निवारण, रोगहर तथा पुष्टिकर संभाव्य वाले जीवन के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा अध्यात्मिक स्तर पर प्रकृति के रचनात्मक सिद्धांतों के समन्वय से मानव शरीर रचना की पद्धति ;
 - (ज) "प्राकृतिक-चिकित्सा पद्धति थैरेपी" से अभिप्राय है, जिसमें जीवन शक्ति सिद्धान्त, विषरक्तता, शरीर की स्व-उपचार क्षमता तथा स्वस्थ जीवन यापन के सिद्धान्तों पर आधारित इसके उपचार में प्राकृतिक तत्वों के उपयोग वाली थैरेपी की औषधि रहित, गैर-आक्रमणशाली पद्धति, ;
 - (झ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
 - (ञ) "रजिस्टर" से अभिप्राय है, धारा 18 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अनुरक्षित व्यवसायियों का रजिस्टर ;
 - (ट) "पंजीकृत योग या प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायी" से अभिप्राय है, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत कोई योग या प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायी ;
 - (ठ) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय है, आयोग का रजिस्ट्रार ;
 - (ड) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;
 - (ढ) "योग" से अभिप्राय है, संतुलित रीति, जो सम्पूर्ण आत्म-बोध को प्राप्त करने का साधन है, में किसी की अन्तर्निहित शक्ति में सुधार या विकास हेतु शिक्षण तथा यह मन परिवर्तन का शमन करने हेतु कोई तकनीक है।

आयोग की
स्थापना।

3. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन हरियाणा योग आयोग के नाम से ज्ञात इसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कृत्यों का पालन करने हेतु निकाय की स्थापना करेगी।

(2) आयोग का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मोहर होगी तथा उक्त नाम से वाद चला सकता है तथा के विरुद्ध वाद चलाया जा सकता है।

आयोग का
गठन।

4. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाले आयोग का गठन करेगी, अर्थात् :-

(1) सरकारी सदस्य :-

(क) निदेशक, खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग, हरियाणा या उसका प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक/सहायक निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;

(ख) निदेशक आयुष, हरियाणा या उसका प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक/सहायक निदेशक की पदवी के नीचे का न हो ;

(ग) डीन/रजिस्ट्रार, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र या उसका प्रतिनिधि, जो आचार्य/विभागाध्यक्ष, योग की पदवी से नीचे का न हो ;

(घ) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा या उसका प्रतिनिधि, जो उपनिदेशक/सहायक निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;

(ङ.) चिकित्सा अधिकारी, आयुष विभाग ;

(2) गैर-सरकारी सदस्य :-

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित ग्यारह गैर-सरकारी सदस्य होंगे :-

(क) योग शिक्षा/प्रशिक्षण/व्यवसाय में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव सहित आयुष में स्नातक उपाधि रखने वाले तीन सदस्य ;

(ख) प्राकृतिक-चिकित्सा में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव सहित प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग विज्ञान में स्नातक उपाधि रखने वाले दो सदस्य ;

(ग) अनुसंधान पृष्ठभूमि सहित योग/प्राकृतिक-चिकित्सा में स्नातक उपाधि रखने वाला एक सदस्य ;

(घ) योग शिक्षा/प्रशिक्षण/व्यवसाय में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव प्रमाण-पत्र सहित किसी भी स्त्रीम में स्नातक उपाधि रखने वाले तीन सदस्य ;

(ङ.) पंजीकृत योग या प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायियों में से दो सदस्य।

अध्यक्ष।

5. आयोग का अध्यक्ष, गैर-सरकारी सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।

उपाध्यक्ष।

6. आयोग का उपाध्यक्ष, गैर-सरकारी सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा अध्यक्ष की रिक्ति या अनुपस्थिति की दशा में अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा।

रजिस्ट्रार।

7. (1) राज्य सरकार, आयुष विभाग, हरियाणा से चिकित्सा अधिकारी को आयोग के रजिस्ट्रार के रूप में प्रतिनियुक्त करेगी, जो आयोग का सदस्य सचिव होगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।

(2) रजिस्ट्रार, बैठक में पारित किए गए सभी निर्णयों तथा संकल्पों को अभिप्रमाणित करेगा तथा बैठक की कार्यवाहियों में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाएं।

गैर-सरकारी
सदस्यों तथा
अन्य कर्मचारियों
की सेवा के
निबन्धन तथा
शर्तें।

8. गैर-सरकारी सदस्यों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

(i) गैर-सरकारी सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से ओर अवधि के लिए विस्तारयोग्य हो सकती है;

(ii) गैर-सरकारी सदस्य की कालावधि आयोग की प्रथम बैठक से आरम्भ होगी ;

(iii) गैर-सरकारी सदस्य, किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है तथा उससे हुई रिक्ति नए सिरे से नामांकन द्वारा भरी जाएगी ;

(iv) गैर-सरकारी सदस्य, आयोग की बैठक में उपस्थित होने के लिए ऐसा मानदेय तथा ऐसे अन्य भत्ते, जो विहित किए जाएं, प्राप्त करेंगे ;

(v) आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन, भत्ते तथा मानदेय इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान में से किया जाएगा ;

(vi) आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन तथा भत्ते, तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

9. (1) कोई गैर-सरकारी सदस्य पद पर रहने हेतु अयोग्य हो जाएगा यदि वह सदस्य—
- (क) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है ;
- (ख) नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है तथा कारावास से दण्डादिष्ट किया है ;
- (ग) विकृतचित हो गया है तथा सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया जाता है ;
- (घ) किसी चिकित्सा कारण या अन्यथा के परिणामस्वरूप अपने कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम हो जाता है ;
- (ङ.) आयोग से अनुपस्थिति छुट्टी प्राप्त किए बिना स्वयं को आयोग की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रखता है ; या
- (च) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित में प्रतिकूल हो गया है :
- परन्तु किसी भी सदस्य को इस खण्ड के अधीन तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक उस सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।
10. राज्य सरकार, किसी भी समय, किसी या सभी गैर-सरकारी सदस्यों को हटा सकती है, यदि विश्वास के पर्याप्त कारण हैं कि सदस्य अधिनियम के भाव के बारे में विरोधी है/हैं।
11. गैर-सरकारी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र, अयोग्यता या हटाए जाने की दशा में, ऐसे पद में रिक्ति हुई समझी जाएगी तथा ऐसी रिक्ति, सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का नए सिरे से नामांकन करते हुए यथा सम्भव शीघ्रता से भरी जाएगी, जो अपने पूर्वाधिकारी की असमाप्त अवधि के लिए पद धारण करेगा।
12. आयोग की कोई भी कार्यवाही या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति के होने या आयोग के गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी या अविधिमान्य नहीं होगी।
13. राज्य सरकार, आयोग की मांग पर, आयोग के निर्बाध रूप से कार्य संचालन के लिए ऐसे अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, जो यह उचित समझे, उपलब्ध करवाएंगी।
14. आयोग प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार तथा यथा आवश्यक बैठकें बुलाएगा तथा बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी।
15. राज्य सरकार, आयोग को युक्तियुक्त नोटिस देने के बाद तथा इसके आक्षेप, यदि कोई हों, सुनने के बाद, आयोग द्वारा पारित किसी संकल्प को निलम्बित, रद्द या उपांतरित कर सकती है।
16. (1) आयोग के निर्बाध रूप से कार्य संचालन हेतु, आयोग 1:2 के अनुपात में सरकारी सदस्यों तथा गैर-सरकारी सदस्यों से न्यूनतम तीन सदस्यों से मिलकर बनने वाली इतनी समितियों, जो उचित समझे, का गठन कर सकता है।
- (2) इस प्रकार गठित समिति, विहित समय-सीमा में, अपनी रिपोर्ट/प्रस्ताव/सुझाव/परामर्श प्रस्तुत करेगी तथा उन्हें आयोग को प्रस्तुत करेगी।
17. आयोग निम्नलिखित कृत्य करेगा, अर्थात् :-
- (क) राज्य सरकार के परामर्श से योग या प्राकृतिक-चिकित्सा को प्रोन्नत करने, प्रशिक्षण तथा विनियमन के लिए कार्य करना ;
- (ख) प्राथमिक, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए राज्य/जिला/निगम/नगरपालिका/तहसील/पंचायत स्तर पर योगासन (योग-मुद्रा) प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ;
- (ग) योग या प्राकृतिक-चिकित्सा के लाभों के बारे में जनसाधारण को शिक्षित करना, अभियान चलाना और जागरूक करना तथा विद्यालय के पाठ्यक्रम की अध्ययन सूची में शामिल करने हेतु कदम उठाना ;
- (घ) योग कोर्सों, पाठ्य-विवरणों, शैक्षणिक मानकों की, समय-समय पर, समीक्षा करना तथा उन पर राज्य सरकार को सिफारिशें करना ;
- (ङ.) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो विहित किए जाएं।

गैर-सरकारी सदस्यों की अयोग्यता।

गैर-सरकारी सदस्यों का हटाया जाना।

रिक्ति।

कार्यवाहियों का रिक्ति के कारण अविधिमान्य न होना।

अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी।

आयोग की बैठक।

संकल्पों का निलम्बन, रद्द किया जाना तथा उपांतरण।

समिति।

आयोग के कृत्य।

रजिस्ट्रार के कृत्य तथा शक्तियाँ।

18. (1) रजिस्ट्रार, ऐसी फीस सहित ऐसे प्ररूप, रीति, जो विहित की जाए, में ऐसे योग या प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायी का पंजीकरण करेगा, जो किसी संस्था से अर्हक है।

(2) रजिस्ट्रार, -

- (क) राज्य में योग या प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर का रख-रखाव करेगा ;
(ख) नीति संहिता, जो विहित की जाए, द्वारा पंजीकृत योग या प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायियों का व्यवसाय आचरण विनियमित करना ;
(ग) योग या प्राकृतिक-चिकित्सा व्यवसायियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, उसे निलम्बित करना या रजिस्टर से उसका नाम हटाना, या उसके विरुद्ध ऐसी अन्य अनुशासनिक कार्रवाई करना, जो विहित की जाए।

रजिस्ट्रार के निर्णय के विरुद्ध आयोग को अपील करना तथा आयोग की अन्य शक्तियाँ।
बजट।

19. (1) किसी व्यक्ति के पंजीकरण या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के संबंध में रजिस्ट्रार के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, आयोग को अपील कर सकता है।

(2) ऐसी अपील आयोग के पास विहित रीति में दायर की जाएगी, और आयोग द्वारा सुनी तथा निर्णीत की जाएगी।

20. (1) आयोग, अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय को दर्शाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी तिथि, जो विहित की जाए, पर अनुदान मांग तैयार करेगा और विहित प्ररूप में राज्य सरकार को भेजेगा।

(2) राज्य सरकार, ऐसा उपान्तरण, यदि कोई हो, जो यह उचित समझे, सहित इसे प्रस्तुत किए गए अनुदान को स्वीकृत कर सकती है।

(3) जब राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है, तो आयोग उस प्रयोजन, जिसके लिए बजट में उपबन्ध किया गया है, के लिए अनुदान में से राशि का उपयोग करने के लिए सक्षम होगा।

लेखें तथा लेखा-परीक्षा।

21. (1) आयोग, ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में उचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख का रख-रखाव करेगा और आय तथा व्यय तथा तुलन-पत्र, उपयोग प्रमाण-पत्र सहित लेखों की वार्षिक विवरणी तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखों की जांच तथा लेखा-परीक्षा, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अनुसार की जाएगी।

(3) आयोग के लेखों की संपरीक्षित विवरणी और कार्य रिपोर्ट, आयुष विभाग को प्रति वर्ष 31 जुलाई से पूर्व भेजी जाएगी।

आयोग की निधि।

22. (1) आयोग की निधि, पंजीकरण, नवीकरण फीस इत्यादि के रूप में संगृहीत की गई निधियों से गठित होगी और ऐसी निधि राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक खाता खुलवाते हुए अनुरक्षित की जाएगी।

(2) आयोग का अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उक्त बैंक खाते को संयुक्त रूप से संचालित करेंगे।

नियम बनाने की शक्ति।

23. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन सम्मुख रखा जाएगा।

अधिकारियों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

24. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी, इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय या किसी कर्तव्य का पालन करते समय, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे।

कठिनाईयाँ दूर करना।

25. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्वसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, नहीं किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाहियों का संरक्षण।

26. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं हो सकेंगी।

व्यावृत्ति।

27. इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व, हरियाणा योग परिषद् या अधिसूचना संख्या 9/24/2019-6HB-II, दिनांक 15 जनवरी, 2021 द्वारा हरियाणा योग आयोग के रूप में पुनःनामित आयोग द्वारा की गई कोई बात, सामान्य खण्ड अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा राज्य की स्थापना के बाद से, योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। वर्तमान में राज्य में कोई योग आयोग नहीं है। इस प्रकार हरियाणा राज्य में प्रचार, प्रबन्धन, नियमन, योग के प्रशिक्षण और विनियमन, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी के हरियाणा राज्य में पंजीकरण के उद्देश्य के लिए हरियाणा राज्य में योग आयोग की स्थापना एवं समावेश की आवश्यकता है।

इसलिए, योग एवं प्राचीन थैरेपिज के महत्व, प्रभाव और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए योग के प्रचार, प्रबन्धन, विनियमन, प्रशिक्षण के लिए और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के विकास और चिकित्सा को नियन्त्रित करने के लिए और खेल के रूप में कुछ अन्य मामले जैसे प्रशिक्षण, प्रोन्नति एवं योगासन इत्यादि के लिए योग आयोग की अत्यन्त आवश्यकता है।

हरियाणा योग आयोग की स्थापना विशेषतौर पर हरियाणा में आम लोगों के लिए लाभदायक होगी।

अनिल विज,
स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 5 मार्च, 2021.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजन विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 23 प्रदान करता है, सरकार गजट अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकता है और इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम यथाशीघ्र विधानसभा सदन में रखे जाएंगे। इसलिए, हरियाणा विधान सभा में व्यवसाय की प्रक्रिया और आचरण के नियम 126 के तहत आवश्यक रूप से प्रत्यायोजित कानून के बारे में ज्ञापन सलंगन है।

वित्तिय ज्ञापन

राज्य के राजकोष पर अध्यक्ष के सांकेतिक मासिक मानदेय/मकान भत्ता इत्यादि, सदस्यों के मीटिंग और यात्रा/दैनिक भत्तों, अन्य कर्मचारियों के वेतन और कार्यालय के अन्य खर्चों पर प्रति वर्ष लगभग 1.00 करोड़ रुपये का वित्तिय बोझ पड़ेगा।